वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग
बैठक दिनांक 30.08.2023, पूर्वान्ह 11.30 बजे
संख्या : 923 /आठ–5–23–10विविध/12

प्रेषक,

चन्द्र श्याम मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 **लखनऊ : दिनांक 21 अगस्त, 2023**

विषय : उ0प्र0 **प्राधिकरण सेवा के कार्मिकों के लिए उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 यथा संधोधित नियमावली, 2014 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

अवगत कराना है कि उ0प्र0 विकास प्राधिकरण सेवा के कार्मिकों के लिए उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 यथा संधोधित नियमावली, 2014 को अंगीकृत किये जाने का प्रकरण शासन में विचाराधीन है।

2– अवगत कराना है कि उ0प्र0 विकास प्राधिकरण सेवा के कार्मिकों के लिए उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 यथा संधोधित नियमावली, 2014 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में समस्त प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों से पिछले तीन (03) वित्तीय वर्ष के आय–व्यय का विवरण एवं जिन प्राधिकरणों द्वारा यह सूचना पूर्व में उपलब्ध करायी गयी थी कि उनके द्वारा उक्त नियमावली को अंगीकृत कर लिया गया है, के संबंध में सुस्पष्ट आख्या मॉगी गयी कि किन प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त नियमावली को अंगीकृत कर चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जा रही है। उक्त के संबंध में कई प्राधिकरणों से सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

3– अतएव उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली तथा उ0प्र0 सरकारी (चिकित्सा परिचर्या) संशोधन नियमावली, 2014 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में समस्त प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के साथ अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ, प्रथम तल स्थित उनके कार्यालय कक्ष संख्या–101 में दिनांक **30.08.2023 को पूर्वान्ह 11.30** बजे वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक निर्धारित की गयी है।

4– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से **दिनांक 30.08.2023 को पूर्वान्ह 11.30 बजे** संगत सूचना/अभिलेखों सहित बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,
21.8.2023

(चन्द्र श्याम मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैवः

प्रतिलिपि निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(चन्द्र श्याम मिश्र)
अनु सचिव।

Go A N 23